न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 33/2025
तारीख दायरः—18.06.2025
पीठासीन अधिकारीः—विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार माली पुत्र श्री कैलाश मैसर्स फुलचंद सागरमल किराणा गांधी चौराहा, छोटीसादडी
2. श्रीमती श्यामा पितलिया पत्नी श्री रोशनलाल, मैसर्स श्यामा इन्टरप्राईजेज हिन्दू धर्मशाला के पास जुना बाजार छोटीसादडी
3. श्री शेलेन्द्र जैन पुत्र श्री भरत कुमार जैन, मैसर्स स्वास्ति एजेन्सी, 204, समता नगर, निमावर रोड़, पालदा इन्दौर (म.प्र.)

— अप्रार्थीगण

:—आदेश—:

दिनांक **05/08/2025**

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगंढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड लाल मिर्च पाउडर (सुन्दर) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहि[illegible] द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर [illegible] प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय का[illegible] द्वारा पत्रा[illegible] करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्र[illegible]स्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:03 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.01.2025 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 फुलचंद सागमरल किराणा गांधी चौराहा छोटीसादडी पहुंचा वहां पर लाल मिर्ची पाउडर (सुन्दर) 500 ग्राम के 24 पैकेट रखे हुए थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थिति हुआ उसने अपना नाम नरेन्द्र कुमार माली पुत्र श्री कैलाश बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैक अवस्था में रखी लाल मिर्ची पाउडर पर शक होने पर विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त लाल मिर्ची पाउडर के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 800/–रू विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर की पैक थैलियो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. प्रतापगढ़ के कोड क्रमांक वाई–2391 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर [illegible] प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति [illegible] पाउडर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बां[illegible] को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय [illegible] की प्रति [illegible]टर कवर में सील बंद कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:03 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया। विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र व बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त क्रम में मैसर्स श्यामा इन्टरप्राईजेज छोटीसादडी को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स स्वास्तिक एजेन्सी पालदा इन्दौर से क्रय करने का बिल प्रस्तुत किया गया।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच/लेब/बांसवाडा/एक्ट/2025/179 दिनांक 03.02.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धा[illegible] उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके [illegible] में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये [illegible] है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से [illegible]डित किया जाना उचित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:03 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी क्रमांक 3 पर 15000/– रू अक्षरे पन्द्रह हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवानगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 05.08.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

05/08/25

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2025 /   दिनांक 05.08.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री शेलेन्द्र जैन पुत्र श्री भरत कुमार जैन, मैसर्स स्वास्ति एजेन्सी, 204, समता नगर, निमावर रोड़, पालदा इन्दौर (म.प्र.)

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:03 IST
Reason: SelfAttested